



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2024 / 30

दर्ज तिथि:-02.01.2024

1. भावाराम पुत्र शंकराराम
 2. केवाराम पुत्र शंकराराम
 3. मालाराम पुत्र शंकराराम
 4. देवाराम पुत्र शंकराराम
 5. मोडाराम पुत्र शंकराराम
 6. अशोक कुमार पुत्र शंकराराम
 7. नेनूदेवी पत्नी शंकराराम
- जाति भील निवासी लक्ष्मीनगर, भेडाणा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

.....वादी

1. अजा पुत्र चेना
 2. अभाराम पुत्र नरसाराम
 3. अमराराम पुत्र जगताराम
 4. जितू पुत्र जगताराम
 5. ढफीदेवी पत्नी पांचाराम
 6. नरसा पुत्र खाना
 7. पैलाद पुत्र चेना
 8. बिजला पुत्र चेना
 9. भगा पुत्र चेना
 10. मांगा पुत्र गंगा फौत के कायम मुकाम
10 / 1 माला पुत्र मांगा
10 / 2 हड़मत पुत्र मांगा
10 / 3 दिलीप पुत्र मांगा
10 / 4 रमकू देवी पत्नी मांगा
 11. माधा पुत्र खीमा फौत के कायम मुकाम
11 / 1 रेखा देवी पत्नी माधाराम
11 / 2 मोडाराम पुत्र माधाराम
11 / 3 महेन्द्र कुमार पुत्र माधाराम
11 / 4 विक्रम पुत्र माधाराम
- जातियान भील निवासी लक्ष्मीनगर भेडाणा तहसील गुडामालानी
- 11 / 5 सुरज देवी पुत्री माधाराम पत्नी भारताराम



निवासी कालेटी तहसील बागौड़ा तहसील जालौर

11/6 होली देवी पुत्री माधाराम पत्नी कान्तिराम

निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी

11/7 गीतादेवी पुत्री माधाराम पत्नी रामाराम

निवासी लक्ष्मीनगर भेडाणा हाल किलुपीया तहसील सांचौर जिला जालौर

11/8 हुआ कुमारी माधाराम नाबालिंग की कुदरती वालिदा माता संरक्षक प्रतिवादी सं.
रेखादेवी

12. माला पुत्र जगता

13. रूघा पुत्र खाना

14. श्रवण पुत्र जगताराम

15. सुवटी पत्नी जगतताराम

16. कमलादेवी पत्नी केवाराम

17. सरदारा पुत्र भुरा

18. लूणीदेवी पत्नी अर्जनराम

19. मेती पत्नी भुरा

जाति भील निवासी लक्ष्मीनगर, भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

20. मोहन पुत्र जोगा जाति भील निवासी गैहू तहसील व जिला बाड़मेर

21. नरसीराम पुत्र भगवानाराम

22. प्रवीण कुमार पुत्र भगवानाराम

जाति भील निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

23. मैनेजर एस0बी.आई0 बैंक गुड़ामालानी

24. मैनेजर एसबीआई एडीबी बैंक गुड़ामालानी

25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री सुखराम विश्नोई

प्रतिवादीगण:-श्री मोहनलाल विश्नोई

श्री रेशनलाल चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-28.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 1257/4.2411 है0, 1203/2.8247 है0, 1242/3.2213 है0, 1258/1.1331 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीनगर, खसरा संख्या 520/3.1889 है0 वाके ग्राम नीलानाडी, खसरा संख्या 744/0.0647 है0, 745/0.7203 है0, 743/3.7555

है0 वाके ग्राम भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2, 5 ता 9, 11, 17, 20 ता 21 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2, 5 से 9, 11, 17, 20, 21 के अतिरिक्त विधिवत तामिल के बावजूद शेष प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 20 द्वारा जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.09.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए. /2025/08 दिनांक 03.01.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति न्यायालय द्वारा अस्वीकार की गई। उक्त कुर्रजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए. /2025/08 दिनांक 03.01.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p><i>21 Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</i></p> <p><i>- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</i></p>	<p>प्रकरण में दिनांक 22.10.2024 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक/2024/930-955 दिनांक 17.10.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 22.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p> <p>2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक/2024/930-955 दिनांक 17.10.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 22.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
--	--

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073-2076 एवं 2074-2077 तथा कुर्रजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 1257/4.2411 है0, 1203/2.8247 है0, 1242/3.2213 है0, 1258/1.1331 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीनगर, खसरा संख्या 520/3.1889 है0 वाके ग्राम नीलानाडी, खसरा संख्या 744/0.0647 है0, 745/0.7203 है0, 743/3.7555 है0 वाके ग्राम भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामिली कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल

सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 1257 / 4.2411 है0, 1203 / 2.8247 है0, 1242 / 3.2213 है0, 1258 / 1.1331 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीनगर, खसरा संख्या 520 / 3.1889 है0 वाके ग्राम नीलानाडी, खसरा संख्या 744 / 0.0647 है0, 745 / 0.7203 है0, 743 / 3.7555 है0 वाके ग्राम भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अमराराम पुत्र जगताराम हिस्सा 1/5	लक्ष्मीनगर श्रीगंगापुर नीलानाडी	1203 1242 520	0.9415 1.6106 0.4139	बा0सो0 बा0सो0 बा0दो0
मालाराम पुत्र जगताराम हिस्सा 1/5				
जितु पुत्र जगताराम हिस्सा 1/5				
श्रवण पुत्र जगताराम हिस्सा 1/5				
सुवटी पत्नी जगताराम हिस्सा 1/5				
जाति भील सा0 देह खातेदार				
कुल किता 03 रकबा 2.966 है0				

अमराराम पुत्र जगताराम हिस्सा 1757 / 9460 मालाराम पुत्र जगताराम हिस्सा 1757 / 9460 जितु पुत्र जगताराम हिस्सा 1757 / 9460 श्रवण पुत्र जगताराम हिस्सा 1757 / 9460 सुवटी पत्नी जगताराम हिस्सा 1757 / 9460 लुणीदेवी पत्नी अर्जुनराम हि0 135 / 1892 जाति भील सा0 देह खातेदार	भेडाणा	743	0.5676	चा0 चोयम
अशोक कुमार पुत्र शंकराराम हि0 1 / 7 केवाराम पुत्र शंकराराम हि0 1 / 7 देवाराम पुत्र शंकराराम हि0 1 / 7 भवाराम पुत्र शंकराराम हि0 1 / 7 मालाराम पुत्र शंकराराम हि0 1 / 7 मोडाराम पुत्र शंकराराम हि0 1 / 7 नेनूदेवी पत्नी शंकराराम हि0 1 / 7 जाति भील सा0 देह खातेदार	लक्ष्मीनगर श्रीगंगापुर नीलानाडी भेडाणा	1203 1242 520 743 745	0.9416 1.6107 1.0629 0.1103 0.4571	बा0सो0 बा0सो0 बा0दो0 चा0चो0 बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 4.1826 है0				
केवाराम पुत्र शंकराराम हि0 1 / 2 मालाराम पुत्र शंकराराम हि0 1 / 2 जाति भील सा0 देह खातेदार	भेडाणा	743	0.5676	चा0 सोयम
कुल किता 01 रकबा 01 रकबा 0.5676 है0				
कमलादेवी पत्नी केवाराम हि0 पूर्ण जाति भील सा0 देह खातेदार	नीलानाडी	520	0.6491	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.6491 है0				
माधा पुत्र खीमा हि0 पूर्ण जाति भील सा0 देह खातेदार रहन-खसरा संख्या 1203, 1242, 1258, 520, 1257, 743, 744, 745 एसबीआई शाखा गुडामालानी	लक्ष्मीनगर श्रीगंगापुर श्रीगंगापुर नीलानाडी	1203 1258 1257 520	0.9416 1.1331 1.0602 1.0630	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 4.1979 है0				
मांगा पुत्र गंगा (फौत) के कायम मुकाम वारिस मीरादेवी पुत्री मांगाराम हि0 1 / 10 सुकीदेवी पुत्री मांगाराम हि0 1 / 10 कैलीदेवी पुत्री मांगाराम हि0 1 / 10 हुआ कुमारी पुत्री मांगाराम हि0 1 / 10 भंवरी पुत्री मांगाराम हि0 1 / 10 रमीला पुत्री मांगाराम हि0 1 / 10 मालाराम पुत्र मांगाराम हि0 1 / 10 हडमत पुत्र मांगाराम हि0 1 / 10 दिलिप पुत्र मांगाराम हि0 1 / 10 रमकूदेवी पत्नी मांगाराम हि0 1 / 10 जाति भील सा0 देह खातेदार	श्रीगंगापुर भेडाणा भेडाणा	1257 743 745	1.0603 0.9702 0.1650	बा0सो0 चा0चो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 2.1955 है0				

अभाराम पुत्र नरसा हि0 5301 / 21206 ढफीदेवी पत्नी पांचाराम हि0 2651 / 10603 अजा पुत्र चैना हि0 1 / 12 पैलाद पुत्र चैना हि0 1 / 12 बिजला पुत्र चैना हि0 1 / 12 नरसा पुत्र खाना हि0 1 / 12 रूघा पुत्र खाना हि0 1 / 12 भगा पुत्र खाना हि0 1 / 12 जाति भील सा0 देह खातेदार रहन-अजा, बिजला, पैलाद पिता चैना, ढफी एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	श्रीगंगापुर	1257	2.1206	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.1206 है0				
अजा पुत्र चेना हि0 7567 / 68106 पैलाद पुत्र चेना हि0 7567 / 68106 बिजला पुत्र हि0 7567 / 68106 नरसा पुत्र खाना हि0 7567 / 68106 रूघा पुत्र खाना हि0 7567 / 68106 भगा पुत्र खाना हि0 7567 / 68106 जाति भील सा0 देह खातेदार नरसींगाराम पुत्र भगवानाराम हि0 1892 / 11351 प्रवीण कुमार पुत्र भगवानाराम हि0 1892 / 11351 जाति भील सा0 सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी खातेदार	भेडाणा	743 744	1.0704 0.0647	चा0चो0 गै0मु0 बेरा
कुल किता 02 रकबा 1.1351 है0				
मोहनराम पुत्र जोगाराम हि0 पूर्ण जाति भील सा0 देह गेहूं तहसील बाडमेर खातेदार	भेडाणा	743	0.4694	चा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.4694 है0				
मेती पत्नी भुरा हि0 1 / 2 सरदारा पुत्र भूरा हि0 1 / 2 जाति भल सा0 देह खातेदार	भेडाणा	745	0.0982	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.0982 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी-बाड़मेर





न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2024 / 30

दर्ज तिथि:-02.01.2024

1. भावाराम पुत्र शंकराराम
 2. केवाराम पुत्र शंकराराम
 3. मालाराम पुत्र शंकराराम
 4. देवाराम पुत्र शंकराराम
 5. मोडाराम पुत्र शंकराराम
 6. अशोक कुमार पुत्र शंकराराम
 7. नेनूदेवी पत्नी शंकराराम
- जाति भील निवासी लक्ष्मीनगर, भेडाणा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

.....वादी

1. अजा पुत्र चेना
 2. अभाराम पुत्र नरसाराम
 3. अमराराम पुत्र जगताराम
 4. जितू पुत्र जगताराम
 5. ढफीदेवी पत्नी पांचाराम
 6. नरसा पुत्र खाना
 7. पैलाद पुत्र चेना
 8. बिजला पुत्र चेना
 9. भगा पुत्र चेना
 10. मांगा पुत्र गंगा फौत के कायम मुकाम
10 / 1 माला पुत्र मांगा
10 / 2 हड़मत पुत्र मांगा
10 / 3 दिलीप पुत्र मांगा
10 / 4 रमकू देवी पत्नी मांगा
 11. माधा पुत्र खीमा फौत के कायम मुकाम
11 / 1 रेखा देवी पत्नी माधाराम
11 / 2 मोडाराम पुत्र माधाराम
11 / 3 महेन्द्र कुमार पुत्र माधाराम
11 / 4 विक्रम पुत्र माधाराम
- जातियान भील निवासी लक्ष्मीनगर भेडाणा तहसील गुडामालानी
- 11 / 5 सुरज देवी पुत्री माधाराम पत्नी भारताराम

निवासी कालेटी तहसील बागौड़ा तहसील जालौर
11/6 होली देवी पुत्री माधाराम पत्नी कान्तिराम
निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी
11/7 गीतादेवी पुत्री माधाराम पत्नी रामाराम
निवासी लक्ष्मीनगर भेडाणा हाल किलुपीया तहसील सांचौर जिला जालौर
11/8 हुआ कुमारी माधाराम नाबालिंग की कुदरती वालिदा माता संरक्षक प्रतिवादी सं.
रेखादेवी

12. माला पुत्र जगता
13. रूघा पुत्र खाना
14. श्रवण पुत्र जगताराम
15. सुवटी पत्नी जगतताराम
16. कमलादेवी पत्नी केवाराम
17. सरदारा पुत्र भुरा
18. लूणीदेवी पत्नी अर्जनराम
19. मेती पत्नी भुरा

जाति भील निवासी लक्ष्मीनगर, भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

20. मोहन पुत्र जोगा जाति भील निवासी गैहू तहसील व जिला बाड़मेर

21. नरसीराम पुत्र भगवानाराम

22. प्रवीण कुमार पुत्र भगवानाराम

जाति भील निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

23. मैनेजर एस0बी.आई0 बैंक गुड़ामालानी

24. मैनेजर एसबीआई एडीबी बैंक गुड़ामालानी

25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री सुखराम विश्नोई

प्रतिवादीगण:-श्री मोहनलाल विश्नोई

श्री रेशनलाल चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

:-पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 1257 / 4.2411 है0, 1203 / 2.8247 है0, 1242 / 3.2213 है0, 1258 / 1.1331 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीनगर, खसरा संख्या 520 / 3.1889 है0 वाके ग्राम नीलानाडी, खसरा संख्या 744 / 0.0647 है0, 745 / 0.7203 है0, 743 / 3.7555 है0 वाके ग्राम भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता

कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अमराराम पुत्र जगताराम हिस्सा 1/5 मालाराम पुत्र जगताराम हिस्सा 1/5 जितु पुत्र जगताराम हिस्सा 1/5 श्रवण पुत्र जगताराम हिस्सा 1/5 सुवटी पत्नी जगताराम हिस्सा 1/5 जाति भील सा0 देह खातेदार	लक्ष्मीनगर श्रीगंगापुर नीलानाडी	1203 1242 520	0.9415 1.6106 0.4139	बा0सो0 बा0सो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 2.966 है0				
अमराराम पुत्र जगताराम हिस्सा 1757/9460 मालाराम पुत्र जगताराम हिस्सा 1757/9460 जितु पुत्र जगताराम हिस्सा 1757/9460 श्रवण पुत्र जगताराम हिस्सा 1757/9460 सुवटी पत्नी जगताराम हिस्सा 1757/9460 लुणीदेवी पत्नी अर्जुनराम हि0 135/1892 जाति भील सा0 देह खातेदार	भेडाणा	743	0.5676	चा0 चोयम
अशोक कुमार पुत्र शंकराराम हि0 1/7 केवाराम पुत्र शंकराराम हि0 1/7 देवाराम पुत्र शंकराराम हि0 1/7 भवाराम पुत्र शंकराराम हि0 1/7 मालाराम पुत्र शंकराराम हि0 1/7 मोडाराम पुत्र शंकराराम हि0 1/7 नेनूदेवी पत्नी शंकराराम हि0 1/7 जाति भील सा0 देह खातेदार	लक्ष्मीनगर श्रीगंगापुर नीलानाडी भेडाणा	1203 1242 520 743 745	0.9416 1.6107 1.0629 0.1103 0.4571	बा0सो0 बा0सो0 बा0दो0 चा0चो0 बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 4.1826 है0				
केवाराम पुत्र शंकराराम हि0 1/2 मालाराम पुत्र शंकराराम हि0 1/2 जाति भील सा0 देह खातेदार	भेडाणा	743	0.5676	चा0 सोयम
कुल किता 01 रकबा 01 रकबा 0.5676 है0				
कमलादेवी पत्नी केवाराम हि0 पूर्ण जाति भील सा0 देह खातेदार	नीलानाडी	520	0.6491	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.6491 है0				
माधा पुत्र खीमा हि0 पूर्ण जाति भील सा0 देह खातेदार रहन-खसरा संख्या 1203, 1242, 1258, 520, 1257, 743, 744, 745 एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	लक्ष्मीनगर श्रीगंगापुर श्रीगंगापुर नीलानाडी	1203 1258 1257 520	0.9416 1.1331 1.0602 1.0630	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 4.1979 है0				

मांगा पुत्र गंगा (फौत) के कायम मुकाम वारिस मीरादेवी पुत्री मांगाराम हि0 1/10 सुकीदेवी पुत्री मांगाराम हि0 1/10 केलीदेवी पुत्री मांगाराम हि0 1/10 हुआ कुमारी पुत्री मांगाराम हि0 1/10 भंवरी पुत्री मांगाराम हि0 1/10 रमीला पुत्री मांगाराम हि0 1/10 मालाराम पुत्र मांगाराम हि0 1/10 हडमत पुत्र मांगाराम हि0 1/10 दिलिप पुत्र मांगाराम हि0 1/10 रमकूदेवी पत्नी मांगाराम हि0 1/10 जाति भील सा0 देह खातेदार	श्रीगंगापुर भेडाणा भेडाणा	1257 743 745	1.0603 0.9702 0.1650	बा0सो0 चा0चो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 2.1955 है0				
अभाराम पुत्र नरसा हि0 5301/21206 ढफीदेवी पत्नी पांचाराम हि0 2651/10603 अजा पुत्र चैना हि0 1/12 पैलाद पुत्र चैना हि0 1/12 बिजला पुत्र चैना हि0 1/12 नरसा पुत्र खाना हि0 1/12 रूघा पुत्र खाना हि0 1/12 भगा पुत्र खाना हि0 1/12 जाति भील सा0 देह खातेदार रहन-अजा, बिजला, पैलाद पिता चैना, ढफी एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	श्रीगंगापुर	1257	2.1206	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.1206 है0				
अजा पुत्र चेना हि0 7567/68106 पैलाद पुत्र चेना हि0 7567/68106 बिजला पुत्र हि0 7567/68106 नरसा पुत्र खाना हि0 7567/68106 रूघा पुत्र खाना हि0 7567/68106 भगा पुत्र खाना हि0 7567/68106 जाति भील सा0 देह खातेदार नरसींगाराम पुत्र भगवानाराम हि0 1892/11351 प्रवीण कुमार पुत्र भगवानाराम हि0 1892/11351 जाति भील सा0 सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी खातेदार	भेडाणा	743 744	1.0704 0.0647	चा0चो0 गै0मु0 बेरा
कुल किता 02 रकबा 1.1351 है0				
मोहनराम पुत्र जोगाराम हि0 पूर्ण जाति भील सा0 देह गेहूं तहसील बाडमेर खातेदार	भेडाणा	743	0.4694	चा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.4694 है0				

मेती पत्नी भूरा हि0 1/2 सरदारा पुत्र भूरा हि0 1/2 जाति भल सा0 देह खातेदार	भेडाणा	745	0.0982	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.0982 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो।
खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर

